

## प्रेस नोट

सराहनीय कार्य थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर पुलिस टीम द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी



आज दिनांक 01.01.2021 को थाना धम्मौर से पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 01/2021 धारा 60 Ex Act में अभियुक्त स्वामी अरबिन्द यादव पुत्र सदानन्द यादव निवासी जैतापुर थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर उम्र 28 वर्ष को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया ।

### **संक्षिप्त विवरण :-**

आज दिनांक 01.01.2021 को श्रीमान् पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद सुलतानपुर के दिशा निर्देश मे व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी नगर व थानाध्यक्ष महोदय के नेतृत्व मे अपराध एवं अपराधियों की गिरफ्तारी की परिपेक्ष्य में थाना धम्मौर की पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0 01/2021 धारा 60 Ex Act में अभियुक्त अरबिन्द यादव पुत्र सदानन्द यादव निवासी निंगोलिया थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर उम्र 28 वर्ष को 05 लीटर अवैध कच्ची शराब के साथ जैतापुर मोड थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर के पास से गिरफ्तार कर जमानत मुचलके पर रिहा किया गया ।

**नाम पता अभियुक्त** 1. अरबिन्द यादव पुत्र सदानन्द यादव निवासी निंगोलिया थाना धम्मौर जनपद सुलतानपुर  
**गिरफ्तारी करने वाली टीम :-**

1. का0 भूपेन्द्र कुमार
2. का0 राकेश पाल